सुन्दराम बनाम पालाराम वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	कै. नं. - 630/2017
6-2-18	पत्रावली ... उपस्थित/ पीठासीन ... व्यस्त/ मौदिया ... अनुसार दिनांक 24-11-18
24-4-18	पत्रावली पेश हो। पत्रावली पूर्व ... अनुसार दिनांक 22-5-18 पेश हो।
8-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-201 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महे. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्रांक प 12 (15) राज-1/2016 दिनांक ... की पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व नियम तारीख 22-5-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाती है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल/जन सेवा केन्द्र ... में दिनाक 22-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो।
22/5/18	लोक अदालत अभियान - 2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली रजिस्टर 9.08.2011 को वाद हेतु नियत होने से पत्रावली का अनुपालना के आधार पर निर्णय निम्नानुसार है -

प्रार्थी पुत्तूराम पुत्र हुलाराम गोत्र ... निवासी ... ने एक प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिवादी पालाराम वगैरह के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 748 (0.94 है.), ख.नं. 751 (1.63 है.) 751/1035 रकबा 0.11 है., ख.नं. 752 (1.92 है.) में 1/2 भूमि का रकबा 2 बीघा का काश्तकार है।

सुण्डाराम बनाम भागीराम वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उ०क० - 630/2017

क्र	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा

अप्रार्थीगण भागीराम पुत्र नारायण, शिवचरण पुत्र नारायण, सीता पत्नी नारायण, कमला पत्नी शिवचरण सीकर सलाह से काश्त कर रहे हैं। अतः उक्त प्रार्थी ने 1/2 हिस्सा में हस्तक्षेप न करने हेतु पाबन्द रखने बाबत अपील विचारार्थ प्राप्त है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कहा कि प्रार्थी के 1/2 हिस्सा में से 35/47 हिस्सा का रकबा 748/1035 0.94 है. मैं बोदूराम पुत्र मुनाराम को दे दिया है। 12/47 हिस्सा 25 बिस्वा 1/2 अरसा की अनुसार काबिज है।

अप्रार्थीगण अपनी कुल की जमीन कुल के 1/2 हिस्सा पर काबिज है।

अतः इस प्रकार मामला समझ कर दरख्वास्त रिकॉर्ड जातेदारी कुल पर होने से व प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी-अपनी जातेदारी की कुल पर अपनी सुविधानुसार काबिज है। व किसी से अधिक कुल पर पाबन्द किया जाता है तो दोनों पक्षों को अपूरणीय क्षति होती है।

अतः प्रार्थीगण की ग्राम रिकार्ड के खसरा 748 में हिस्सा 12/47 तथा खसरा 751, 751/1035 व 752 में 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण के खसरा 748, 751, 751/1035

Scanned by CamScanner

खण्डराज बनाम पालाराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० न० - 630/2017
	752 में 1/6 हिस्सा रिकार्ड जाहिर है अतः अगर पक्षों को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने में बाधा न होवे बाकात भूमि बाद में निस्तारपत्र पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 22/5/2018 को RCA NO 4/2018 मेरे सामने सुनाया गया।

Om

(कृष्णलाल)

ADM (F.T.)

श्रीमाधोपुर, सीकर

Scanned by CamScanner